भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1218
उत्तर देने की तारीख: 09.02.2023

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1218. श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ख) केवीआईसी की शुरुआत के बाद इसकी उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष केवीआईसी के तहत गांवों में निर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में सफल हुई है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु और ओडिशा राज्य से निर्यात किए गए उत्पादों की कीमत और मात्रा बताएं;

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां आईं;

(च) क्या सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए केवीआईसी को निर्यात संवर्धन परिषद का दर्जा प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) खादी और ग्रामोद्योग को और अधिक उत्पादों का निर्यात करने के लिए दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन का ब्यौरा दें;

(ज) क्या सरकार केवीआईसी के माध्यम से खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार को सहायता देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें; और

(झ) सरकार द्वारा अधिक से अधिक विक्रेताओं के वित्तीय समायोजन और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रोजगार प्रदान करके, बिक्री योग्य सामानों का उत्पादन करके और लोगों के बीच आत्म-निर्भरता पैदा करके तथा मजबूत ग्रामीण समुदाय की भावना का निर्माण करके अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संवर्धित और सहायता प्राप्त खादी संस्थान और ग्रामोद्योग सूक्ष्म इकाइयां खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं और इस प्रकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है।

शुरुआत से और विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्कीम का नाम	**शुरुआत से (31.01.2023 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2022-23 तक)**	**विगत तीन वर्षों के दौरान**		
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (रोजगार संख्या में)	6874610	533224	595320	825752
खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (उत्पादन- करोड़ रु. में)				
खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (बिक्री - करोड़ रु. में)	772232.95	67667.31	72235.15	84289.93
खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (संचयी रोजगार लाख व्यक्तियों में)	980276.44	88875.54	95741.36	115415.2

(ग से ङ) केवीआई संस्थान/इकाइयां सीधे अथवा व्यापारियों/ऐजेंसियों के माध्यम से अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान केवीआई संस्थानों/इकाइयों के माध्यम से केवीआई उत्पादों के निर्यात की मात्रा निम्नलिखित है:

वर्ष	केवीआई निर्यात (करोड़ रु. में)
2019-20	238.50
2020-21	209.28
2021-22	257.02

केवीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

i. वैश्विक मानदंडों, गुणवत्ता और समकालीन बाजार मांग से संबंधित छोटे गाँवों में विनिर्माताओं के बीच जागरूकता की कमी।
ii. अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवीआई वस्तुओं के निर्यात के संबंध में ऋण और जानकारी तक सीमित पहुंच।
iii. वैश्विक बाजार में केवीआई उत्पादों के विपणन और संवर्धन की कमी।

केवीआईसी द्वारा उपरोक्त चुनौतियों से निपटने और केवीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. केवीआईसी ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के साथ 1 से 31 जनवरी, 2022 तक दुबई में "वर्ल्ड एक्स्पो 2020" के आयोजन में भाग लिया।
ii. केवीआईसी, केवीआई उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में प्रत्येक वर्ष भाग लेता है।
iii. केवीआईसी, केवीआई उत्पादों के लिए विपणन संपर्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्यात कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

(च) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने केवीआईसी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवीआई उत्पादों के संवर्धन की सहायता हेतु मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) का दर्जा दिया है। 1089 केवीआई संस्थानों और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरईजीपी)/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसकी सदस्यता ली है।

(छ) केवीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. केवीआईसी, एमएसएमई मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय समन्वय (आईसी) स्कीम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में केवीआई इकाइयों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।
ii. निर्यात संवर्धन के लिए 11 खादी उत्पादों को हार्मोनाइज्ड कमोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली (एचएस कोड) जारी किए गए हैं।

(ज) एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से खादी संस्थानों और कारीगरों की सहायता के लिए खादी क्षेत्र में केंदीय क्षेत्र स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) केवीआई स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु राज्य सहित, सभी राज्य बोर्डों के जिला स्तर पर अपने कार्यालय हैं।

(झ) सरकार खादी संस्थानों का नामांकन करके केवीआई उत्पादों के वर्धित उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी सहायता देती है। वर्धित उत्पादन और मूल्य वर्धन के साथ खादी कारीगरों (कताईकर्ताओं और बुनकरों) के रहन-सहन की स्थिति में सुधार हो रहा है।